

कार्यालय निदेशक:- है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/०४/छात्रावास मैस/निविदा 2023-24

दिनांक:- 19-10-2023

अल्प कालीन निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी वर्ष 2023-24 के लिए छात्रावासों में (पुरुष एवं महिला) में भोजन आपूर्ति हेतु एक ही निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वि०वि० की वेबसाईट www.hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि०वि० के वेबसाईट www.hnbgu.ac.in से दिनांक 19-10-2023 से दिनांक 30-10-2023 समय 4.00 बजे सायं तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक कार्यालय के छात्रावास अनुभाग में निविदाओं के शील्ड लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 30-10-2023 के सायं 5.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 31-10-2023 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जायेगा।


19/10/23

निदेशक
निदेशक

६० न० ल० गद्वाल विश्वविद्यालय
(कानूनी विश्वविद्यालय)
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
फ़िल्म- २२१११


19/10/2023

सर्योजक / उप-छात्रावास अधीक्षक

उप-छात्रावास अधीक्षक
६० न० ल० गद्वाल विश्वविद्यालय
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
फ़िल्म-249199

कार्यालय निदेशक:- है०न०व०ग०वि०वि०परिसर वादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या / 04 / निविदा 2023-24

दिनांक:- 19-10-2023

**भोजन निविदा-प्रपत्र
वित्तीय वर्ष-2023-24**

निविदा प्रपत्र के चार भाग है।

- (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
- (ख) साप्ताहिक मैनू
- (ग) तकनीकी विड
- (घ) वित्तीय विड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें :-

1. स्थानी रामतीर्थ परिसर वादशाहीथौल टिहरी की छात्रावास समिति की ओर से छात्र/छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से पुरुष तथा महिला छात्रावास के लिए एक ही शील्ड (Single Tender) निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैनू प्रपत्र (ख), तकनीकी विड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ठ पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए-4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा। तथा वित्तीय विड प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा।
2. निविदा के लिए एक बड़ा ए-4 साईज लिफाफा जिसमें प्रपत्र क, ख, ग एवं आवश्यक याचित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों एवं एक छोटे शील्ड बन्द लिफाफा में प्रपत्र घ-वित्तीय विड का होगा जिसके बाहर से निविदा दाता का नाम पता एवं मोबाइल फोनो लिखा होना आवश्यक है।
3. निविदा प्रपत्र वि०वि० की वेबसाईट www.hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 30-10-2023 सायं 5.00 बजे तक शील्ड लिफाफे परिसर निदेशक छात्रावास कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।
4. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति के द्वारा दिनांक 31-10-2023 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा फार्मों की जांच के पश्चात वित्तीय विड खोली जायेगी।
5. संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार छात्रावासों (पुरुष/महिला) में भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुवह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
6. निविदादाता को प्रवन्धन के लिए पुरुष एवं महिला छात्रावास में अलग-अलग सुपरवाईजर/प्रबन्धक रखना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलायी जा सके।
7. ग्रीष्मावकाश 2024 अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए विना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति (छात्र/छात्राओं) करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में रु० 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ०डी०डी०आर० ००/ वैकर्स चैक जो निदेशक एस०आर०टी परिसर वादशाहीथौल के पक्ष में सलंगन करना होगा। न्यूनतम प्रथम या आवैटित निविदादातों के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ०डी०आर० ०० अथवा वैकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर रु० 5,00,000.00 (पाँच लाख मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ०डी०आर०टी०डी०आर निदेशक

हे०न०ब०ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही रु० 100.00 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा । मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।

- आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।
10. एफ०डी०आर० बन्धक राशि (रु 5.0 लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रु० 5000.
11. ०० डिमाण्ड ड्राप्ट /एफ०डी०डी०आर०/बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन इंधन/गैस भट्टी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन (जैसे डोंगा,चम्मच,हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी,दाल,चावल,आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
12. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्रियों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय-२ पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी ।
13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी । परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापंक को यथासमय दी जायेगी ।
14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे। (पुरुष छात्रावास में ६ से ८ तथा महिला छात्रावास में ०५ कर्मचारी रखने होंगे) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी । कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर द्वारा बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेंगे । मैस कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा । अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी को बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा एवं आवश्यक कार्यावाही की जायेगी । मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेंगे एवं परोसेंगे । छात्रावास में मैस कर्मचारियों की संख्या कम होने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रु० 200.00 (दो सौ) की दर से अर्थदण्ड देना होगा जोकि मैस संचालक को देने होगा ।
15. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी । डायनिंग हाल में टूट-फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा ।
16. बिजली एवं पानी की व्यवस्था वि०वि० द्वारा निर्धारित दरों पर परिसर प्रशासन द्वारा की जायेगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा । मैस ठेकेदार/निविदादाता को प्रति मैस का किराया रु० 2000.00, विधुत बिल का फिक्स किराया रु० 1500.00 प्रति माह एवं पानी का फिक्स बिल रु० 500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रु० 4000.00 (चार हजार मात्र) कुल दोनों मैस का किराया रु० 8000.00 (आठ हजार मात्र) प्रत्येक माह की १० तारीख तक स्वयं छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा ।
17. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (मैस संचालक) के द्वारा करनी होगी ।
18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा । डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी । बचा हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलायी जायेगी । बचे भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

10. राम्भन्धित ठेकेदार को अपना कान्ड्रेवट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की रिधति में कान्ड्रेवट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की जायेगी।
20. ठेकेदार को प्रत्येक गाह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा।
21. परिसार में अधिकारिक अवकाश एक राप्ताह से अधिक (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दिनों में अनुपरिधत छात्रों रो भोजन का विल नहीं वस्तूला जायेगा।
22. निविदादाता के लिए परिसार छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर रु0 130.00 प्रतिदिन प्रतिघान निर्धारित की गयी हैं। दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. संलग्न गैन्यु के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देना चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।
24. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के छात्रावास रामिति का निर्णय अन्तिम होगा।
25. निविदादाता को संलग्न गैनू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी।
26. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/निविदादाता को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित शर्तों व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।
27. ठेकेदार को शासकीय नियमानुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा।
28. निविदा स्वीकार करने की रिधति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी प्रकार का नशा या धुम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा, छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की शिकायत पर एक सप्ताह के नोटिस देने के बाद निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा।
29. गोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी।
30. किसी पाली विशेष में गैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की रिधति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ड्रेवट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
31. किवन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
32. मैस की नालियों चोक होने पर तथा गडडे भरने पर, नालियों/गडडों की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा।
33. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा।
34. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर में वित्तीय विड खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेण्डर निरस्त करने का अधिकार होगा।
35. महिला /पुरुष छात्रावास में चौथी बार निविदा आमंत्रित की जा रही है। यदि इस बार किसी कारणवश एक ही निविदा प्राप्त होती है, तो उसे परिसर प्रशासन/परिसर प्रशासन द्वारा गठित समिति को निर्धारित तिथि एवं समय पर खोलने का अधिकार होगा।
36. फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन निविदादाता को भैतिक रूप से अथवा उनका प्रतिनिधि समिति के सम्मुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

- (a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध (जी०एस०टी पंजीकरण) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि(वर्तमान में वैध हो) के अन्तर्गत का हो।
- (d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/शैक्षणिक संस्था में गत दो वर्षों (सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23) में मैस/संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।
- (e) स्थायी खाता संख्या (PAN CARD) /आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति।
- (f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षों (F.Y 2021-22 एवं F.Y 2022-23) का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹0 5000.00 का बैंक ड्राप्ट/डी०डी०आर०/बैंकर्स चैक, निदेशक है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (h) निविदादाता के पास मैस संचालन कार्यों के लिए पिछले 02 वर्षों (2021-22 एवं 2022-23) में न्यूनतम टर्नओवर रूपये पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी०ए० द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र देना होगा।
- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्राओं को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- (k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।
- (l) मैस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा/श्रम कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता/ ठेकेदार की होगी इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- नोट:-** निविदादाता को कम संख्य ,i,j,k,l तक के लिए एक ही शपथ पत्र को ₹0 100 के स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।

19/10/23
निदेशक
निदेशक
है० न० ब० ग० विद्यालय
(कैरियर एवं विद्यालय)
स्थानीय संस्कारक संघ
(संस्कारक संघ)

19/10/23
संयोजक /उप छात्राकामना संघक
उप-छात्राकामना संघक
न० ब० म० ग० विद्यालय
स्थानीय संस्कारक संघ
प्रधान (संस्कारक संघ)
फिन-249199

प्रपत्र (ख) 2023-2024

कार्यालय निदेशक:- हैनूनद०ग०वि०परिस्तर बादशाहीघौल
छात्रावास भोजन मैन्यू

टिहरी(ठिठ०)

दिन/वार	भाषणा	दोपहर भोजन	सायं 4 वजे	रात्रि भोजन
पंविवार	उयले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी, चाय	राजमा, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, सलाद	सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रु० 5.00 के मुल्य का	नल्का दाल, आलू न्यूट्रो की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
रोमवार	आलू, गोभी परांठा, अचार, दही, चाय	दाल मखनी, चावल, रोटी, सब्जी, खीरा, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
गंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा, चाय	कड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड्ड छिलका दाल, मिण्डी की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद
बुद्धवार	छोले भट्टरे, चाय	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर, आलू बीन की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
बृहपृष्ठिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही, चाय	उड्ड राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल, आलू न्यूट्रो की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
शुक्रवार	उयले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पूरी, चाय	मिक्स दाल आलू वैंगन की सब्जी, रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी चावल, सलाद
शनिवार	आलू गटर की (गाढ़ी घेवी) की सब्जी सादा परांठा, चाय	अरहर दाल, आलू पालक की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, वैंगन भर्ता, चावल रोटी, सलाद

नोट:- 1- प्रत्येक बुद्धवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)

2- मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3- प्रत्येक दिन सलाद में मूली, प्याज, गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनियार्य रूप से देनी होगी।

4- छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5- सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

6- सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी

प्रपत्र— (ग) 2023–20234

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौलटिहरी(टै०ग०)

तकनीकि विड

1. निविदादाता का नाम.....
 2. पता.....
फोन न० कार्यालय..... मोबाइल न०.....
 3. फर्म का नाम व पता.....
 4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G.S.T Number).....
(नियम शर्तों के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
 - 5- स्थाई आयकर खाता संख्या(PAN NO)-----
नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वित्तीय वर्षों (F.Y 2021–22 एवं F.Y 2022–23) का आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र तथा Pan Card की छाया प्रति संलग्न करें
 - 6- घरोहर राशि का विवरण
(क) बैंक ड्राप्ट / एफ०डी०आर० न० / बैंकर्स चैक (ख) दिनांक
(ग) धनराशि.....
 7. कार्य अनुभवः— (नियम शर्तों के अनुसार).....
- | | | |
|-----------------|-----|----|
| संलग्न का विवरण | 1. | 2 |
| | 3. | 4 |
| | 5.. | 6. |
| | 7. | 8. |

दिनांक:

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पूरा पता:

प्रपत्र- (४)

कार्यालय निदेशक- हॉमोबायोपथियलिंपहिसर बादशाहीगौल टिहरी(टिहरी)

वित्तीय विड 2023-2024

महोदय,

मेरि निविदादाता यरिसर छाक्रादास मैसा समिति द्वारा निर्धारित मीनू के अधार पर भोजन की अनुमति है।

अत प्रातः कालीन चाय, नाश्ता, दिन का भोजन सांधकाल की चाय एवं सैक्षण तथा राति भोजन की व्यवस्था है। प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता है। इस सम्बन्ध में मैंने आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भौति अध्ययन कर लिया है।

दिकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपरे में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रुपरे (अको में) शब्दों में

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम-

पता-

मोबाइल नं.-